सतीश चन्द्र कॉलेज, बलिया

(सम्बद्ध : जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया)

सत्र 2023 – 24

विवरण पुस्तिका

Prospectus

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु

HIGHLIGHTS

अनुक्रमणिका

1. परिचय
2. प्रवेश हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programmes), अर्हता एवं सीटों का विवरण
3. प्रवेश विधि (Method of Admission)
4. प्रवेश समय सारिणी (Schedule of Admission)
5. प्रवेश पंजीकरण शुल्क (Admission Registration Fee)
6. प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)
7. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने में सावधानियाँ
8. प्रवेश हेतु नियम एवं निर्देश (Rules and Instructions for Admission)
9. प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था
10. प्रवेश हेतु अधिभार (Weightage)
11. स्नातक स्तर पर संकायवार संचालित विषयों की सूची
12. स्नातक स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा लिए जाने वाले विषय / पेपर
13. स्नातक स्तर पर सं केचालित वोकेशनल कोर्सेज की सूची
14. स्नातक स्तर पर संचालित कोकरिकुलर कोर्सेज की सूची
15. स्नातकोत्तर स्तर पर संकायवार संचालित पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programmes)
16. स्नातकोत्तर स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर
17. परीक्षा व्यवस्था
18. उपस्थिति
19. अनुशासन

1. परिचय

सतीश चन्द्र कॉलेज की स्थापना वर्ष 1947 में हुई। इसकी स्थापना का श्रेय महंत सतीश चन्द्र गिरि को जाता है, जो बंगाल प्रांत के हुगली ज़िले में स्थित तारकेश्वर मठ के महंत थे।उल्लेखनीय है कि बलिया के द्वाबा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दूबे छपरा गाँव के मूल निवासी महंत सतीश चन्द्र गिरि के प्रयासों से वर्ष 1915 में 'एंग्लो वैदिक पाठशाला' की स्थापना हुई। महंत सतीश चन्द्र ने ही इस संस्था के निर्माण और इसकी प्रगति के लिए एक लाख रुपए का दान दिया। उसी दानराशि से पाठशाला के भवन–निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास युक्त प्रांत (यू.पी.) के तत्कालीन लेफ़्टिनेंट–गवर्नर सर जेम्स मेस्टन (1865–1943) के हाथों सम्पन्न हुआ, जो वर्ष 1912से 1918 तक युक्त प्रांत के लेफ़्टिनेंट–गवर्नर रहे थे।

पाठशाला का भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य महंत सतीश चन्द्र गिरि द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि पंडित महावीर मिश्र की कुशल देखरेख में पूरा हुआ। स्थापना के आठ वर्षों के बाद वर्ष 1923 में इस पाठशाला को पूर्व माध्यमिक कक्षाओं की मान्यता मिली। महंत सतीश चन्द्र गिरि की माता श्रीमती लक्ष्मीराज देवी के नाम पर इस संस्था का नाम 'लक्ष्मीराज देवी मेस्टन एंग्लो वैदिक स्कूल' रखा गया। वर्ष 1929 में छात्रों के रहने के लिए 'एल.डी. मेस्टन हाईस्कूल हॉस्टल' नाम से छात्रावास भी खोला गया। वर्ष 1942 में इस संस्था को इंटरमीडिएट की मान्यता मिली और इसके साथ ही यह संस्था 'लक्ष्मीराज देवी मेस्टन इण्टर कॉलेज' में परिणत हो गई। बलिया के ज़िलाधिकारी इस कॉलेज की प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष होते थे।उक्त प्रबंध समिति ('एल.डी. मेस्टन स्कूल सोसाइटी') में कुल 21 सदस्य होते थे। जिनमें छह आजीवन सदस्य, तेरह निर्वाचित सदस्य और ज़िलाधिकारी व प्राचार्य पदेन सदस्य होते थे।

वर्ष 1935 में पंडित महावीर मिश्र की स्मृति में उनके पुत्र पंडित काशीनाथ मिश्र (ऑनरेरी मुंसिफ़ और असिस्टेंट कलेक्टर) द्वारा स्कूल के 'महावीर ब्लॉक' का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया। जिसका शिलान्यास 6 अक्टूबर, 1935 को बलिया के कलेक्टर व ज़िला मजिस्ट्रेट राय बहादुर पंडित शिव करण नाथ मिश्र द्वारा किया गया। 'महावीर ब्लॉक' का निर्माण कार्य पाँच वर्षों में पूरा हुआ और 5 मई, 1940 को नवनिर्मित 'महावीर ब्लॉक' का उद्घाटन बलिया के तत्कालीन कलेक्टर व ज़िला मजिस्ट्रेट जे. निगम द्वारा किया गया।महाविद्यालय के रसायन व भौतिकी विभाग वर्तमान में इसी ब्लॉक में स्थित हैं।

वर्ष 1947 में, जिस वर्ष भारत को स्वतंत्रता मिली, उसी वर्ष आगरा विश्वविद्यालय से सतीश चन्द्र कॉलेज के रूप में इस संस्था को बी.ए. पाठ्यक्रम की मान्यता मिली। संस्कृत के प्रकांड विद्वान आचार्य सीताराम चतुर्वेदी (1907–2005) सतीश चन्द्र कॉलेज के पहले प्राचार्य बने। उन्हीं के द्वारा महाविद्यालय में छात्रसंघ, छात्र संसद और विभिन्न परिषदों का गठन किया गया। वर्ष 1957 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद सतीश चन्द्र कॉलेज गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गया। वर्ष 1958 में महाविद्यालय को बी.एस–सी. (गणित एवं जीव विज्ञान) की मान्यता मिली। इसके दो वर्ष बाद महाविद्यालय को बी.एड. पाठ्यक्रम की मान्यता मिली। इसी क्रम में, वर्ष 1970 में महाविद्यालय को हिंदी, राजनीतिशास्त्र एवं गणित विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की मान्यता मिली। उसी वर्ष इंटर की कक्षाओं को अलग करके लक्ष्मीराज देवी इंटर कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके एक वर्ष बाद 1971 में समाजशास्त्र एवं रसायन विज्ञान विषयों में भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हुई। वर्ष 1988 में महाविद्यालय में 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय' का अध्ययन केंद्र स्थापित हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाद महाविद्यालय क्रमशः पूर्वांचल विश्वविद्यालय एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से भी सम्बद्ध रहा। दिसम्बर 2016 में जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया की स्थापना के साथ ही महाविद्यालय जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो चुका है।

2. प्रवेश हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (PROGRAMMES), अर्हता एवं सीटों का विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)	प्रवेश हेतु अर्हता (Eligibility for Admission)	उपलब्ध सीटें
स्नातक (UNDER GRADUATE)			
1	बी.ए.	इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	840
2	बी.एस–सी. (गणित वर्ग)	गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान / कंप्यूटर विषयों से इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	240
3	बी.एस–सी. (जीव विज्ञान वर्ग)	जीव विज्ञान वर्ग से इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	120
4	बी. कॉम*	वाणिज्य वर्ग / कला वर्ग (अर्थशास्त्र विषय के साथ) / विज्ञान वर्ग (गणित विषय के साथ) से इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	240
परास्नातक (POST GRADUATE)			
1	एम.ए. – हिन्दी	हिन्दी विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	60
2	एम.ए. – अंग्रेजी*	अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	60
3	एम.ए. – समाज शास्त्र	समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	60
4	एम.ए. – राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	60
5	एम.ए. – दर्शन शास्त्र*	दर्शन शास्त्र विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	60
6	एम.ए. – भूगोल*	भूगोल विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	30
7	एम.ए. – शिक्षा शास्त्र*	शिक्षा शास्त्र विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	30
8	एम.ए. – रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन*	रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	30
9	एम.एस–सी. – गणित	गणित विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	60
10	एम.एस–सी. – रसायन	रसायन विज्ञान विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	30
11	एम.एस–सी. – भौतिक*	भौतिक विज्ञान विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	30
12	एम.एस–सी. – वनस्पति विज्ञान*	वनस्पति विज्ञान विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण	30

* स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत संचालित

3. प्रवेश विधि (Method of Admission)

सत्र 2023–24 में प्रवेश योग्यता प्रदायी परीक्षा के अंको (अधिभार सहित) के आधार पर मेरिट सूची बनाकर किया जाएगा।

4. प्रवेश समय सारिणी (Schedule of Admission)

1. ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	**05 मई, 2023**
2. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	**15 जून, 2023**
3. मेरिट सूची निर्गत करने की तिथि	बाद में घोषित की जाएगी। अभ्यर्थी महाविद्यालय के वेबसाइट www.sccollege.in और प्रवेश पोर्टल www.onlinesccollege.in का अवलोकन करते रहें।
4. प्रवेश / काउन्सिलिंग की तिथि	

5. प्रवेश पंजीकरण शुल्क (Admission Registration Fee)

सत्र 2023–24 में प्रवेश पंजीकरण शुल्क ₹ 200/– निर्धारित किया गया है।

6. प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा।
2. ऑनलाइन फार्म भरने हेतु महविद्यालय के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल www.onlinesccollege.in पर सीधे जाएं। अथवा, महाविद्यालय की वेबसाईट www.sccollege.in के **Admission** टैब पर क्लिक करके जाएं।
3. ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर **Registration** टैब पर क्लिक करें।
4. Programme Type, Programme, Semester / Year, Name, Father's Name, Mother's Name, Date of Birth, Mobile Number और Email ID भरें।
5. **Pay Now** पर कर रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें। फीस जमा करने के बाद प्राप्त **Transaction ID** को नोट कर लें।
6. अब **Fill Admission Form** पर क्लिक करें।
7. Transaction ID और Mobile Number भरकर **Continue** पर क्लिक करें। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा।
8. अपना Personal Details, Academic Details, Weightage Claimed, आदि भरें।
9. Photo और Signature अपलोड करें।
10. अब अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म **Submit** कर दें।
11. एडमिशन फॉर्म प्रिंट कर सुरक्षित रख लें और प्राप्त **Registration Number** को नोट कर लें।
12. मेरिट लिस्ट में नाम आने पर **Student Login** पर Registration Number और Date of Birth भर कर अपना काउंसिलिंग लेटर प्रिन्ट कर लें।
13. काउंसिलिंग की निर्धारित तिथि और समय पर समस्त वांछित अंकपत्रों और प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ प्रिंटेड एडमिशन फॉर्म और काउंसिलिंग लेटर के साथ महाविद्यालय में उपस्थित हों। आरक्षण का लाभ लेने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करें। वेरीफिकेशन हेतु सभी अंकपत्रों और प्रमाणपत्रों की मूल प्रति भी साथ लेकर आएं।
14. काउंसिलिंग के समय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) मूलरूप में जमा करें।
15. काउन्सिलिंग के उपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर मैसेज भेजा जाएगा। मैसेज प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर अभ्यर्थी को शुल्क जमा कर दें। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश संभव नहीं होगा। यदि किसी कारणवश मैसेज प्राप्त नहीं होता है तो भी अभ्यर्थी महविद्यालय के आनलाइन प्रवेश पोर्टल www.onlinesccollege.in पर जाकर शुल्क का भुगतान आनलाइन कर सकते हैं। शुल्क भुगतान रसीद की एक प्रति महाविद्यालय में सम्बन्धित काउन्टर पर जमा कर दें।
16. अपना परिचय पत्र महविद्यालय के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल www.onlinesccollege.in पर जाकर डाउनलोड कर लें और अनुशासन मण्डल के रजिस्टर में अंकित करा लें और हस्ताक्षर करा कर मुहर लगवा लें। अब आपका परिचय पत्र वैध हो जाएगा।
17. इसके बाद लाइब्रेरी में जाकर अपना लाइब्रेरी कार्ड भी बनवा लें और समय सारिणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

7. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरने में सावधानियाँ

1. आवेदन–पत्र भरने से पूर्व निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़े। गलत प्रविष्टियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
2. आवेदन कर्त्ता अपना मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करें। इसमें त्रुटि होने पर आगे की सूचनाएं बाधित हो जाएंगी।
3. अभ्यर्थी अपना नाम एवं जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार सही – सही भरें। जन्मतिथि गलत होने पर आगे की कार्यवाही स्वयं बाधित हो जाएगी।
4. प्रवेश आवेदन करते समय मोबाइल नम्बर, जन्मतिथि, एवं अधिभार (weightage) तथा श्रेणी सही – सही भरें क्योंकि save करने के पश्चात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. प्रवेश आवेदन फार्म Final submit करने के पश्चात कोई सुधार संभव नहीं होगा। अत: फाइनल सबमिट से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हों कि भरी गई समस्त जानकारी पूर्णत: सत्य है।
6. उपरोक्त सूचनाओं की अनदेखी और लापरवाही से आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी को प्रवेश से वंचित कर सकती है जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

8. प्रवेश हेतु नियम एवं निर्देश (Rules and Instructions for Admission)

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की प्रवेश समिति में पारित प्रवेश नियमावली के आधार पर सम्पन्न होगी।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों / नियत समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश योग्यता प्रदायी परीक्षा में प्राप्त अंको में अधिभार (यदि कोई हो) को जोड़ने के पश्चात मेरिट सूची बनाकर किया जाएगा।
4. प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूची महविद्यालय के आनलाइन प्रवेश पोर्टल www.onlinesccollege.in पर जारी की जाएगी।
5. प्रवेश सम्बन्धी समस्त सूचनाओं हेतु महाविद्यालय की महाविद्यालय की वेबसाईट www.sccollege.in और प्रवेश पोर्टल www.onlinesccollege.in पर का निरन्तर अवलोकन करते रहें क्योंकि समस्त सूचनाएं वहीं से प्राप्त होंगी।
6. प्रवेश हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन फार्म की एक प्रति, मेरिट सूची के आधार पर निर्गत काउन्सिलिंग पत्र, एक नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपेक्षित समस्त अंक पत्रों / प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ संलग्न करके लाना अनिवार्य है। काउन्सिलिंग के समय संलग्न छायाप्रतियों के मूल प्रमाण पत्रों को भी लाना अनिवार्य है।
7. काउंसलिंग के समय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)एवं चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) मूलरूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. जो अभ्यर्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हैं, उन्हें प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration) भी जमा करना अनिवार्य होगा।
9. काउंसिलिंग की निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
10. काउन्सिलिंग के उपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं० पर मेसेज भेजा जाएगा। मेसेज प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर अभ्यर्थी को शुल्क जमा करना होगा अन्यथा कि स्थिति में प्रवेश संभव नहीं होगा। यदि किसी कारणवश मैसेज प्राप्त नहीं होता है तो भी अभ्यर्थी महविद्यालय के आनलाइन प्रवेश पोर्टल www.onlinesccollege.in पर जाकर शुल्क का भुगतान आनलाइन कर सकते हैं। शुल्क भुगतान रसीद की एक प्रति महाविद्यालय में सम्बन्धित काउन्टर पर जमा करना होगा।

11. शुल्क भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कन्फर्म होना चाहिए। यदि आपका पेमेन्ट सफल हो जाता है किन्तु निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कन्फर्म नहीं होता है तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा।
12. प्रवेश के पश्चात परिचय पत्र महाविद्यालय के वेबसाइट से केवल एकबार ही आनलाइन प्राप्त हो सकेगा जिसे छात्र को सुरक्षित रखना होगा। परिचय पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को द्वितीय प्रति हेतु महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा |
13. प्रवेश हेतु दो वर्ष का अन्तराल अनुमन्य है। अतः वर्ष 2021 के पूर्व इण्टमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातक कक्षा में सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे और वर्ष 2021 के पूर्व स्नातक / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातकोत्तर कक्षा में सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
14. दो वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थी के लिए शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ पत्र इस आशय का होगा कि अभ्यर्थी ने अन्तराल वर्ष / वर्षों में कहीं प्रवेश नहीं लिया था और न ही अनुचित साधन प्रयोग में दंडित किया गया था। एक वर्ष के अन्तराल पर 2% एवं दो वर्ष के अन्तराल पर 5% की कटौती की जाएगी।
15. बी.काम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा वाणिज्य वर्ग / कला वर्ग (अर्थशास्त्र विषय के साथ) / विज्ञान वर्ग (गणित विषय के साथ) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट व्यवसायपरक शिक्षा तथा जीव विज्ञान संवर्ग वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
16. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित विषय में स्नातक कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
17. प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आरक्षण नियमों के अन्तर्गत सम्पन्न होगी। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जाति प्रमाण पत्र मूल रूपमें प्रस्तुत करना होगा।
18. आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार भरी जाएंगी।
19. विषयों का आवंटन उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
20. अलग–अलग संकायों / विषयों हेतु अलग–अलग आवेदन करना होगा। विषय परिवर्तन या संकाय परिवर्तन किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा और न ही प्रवेश शुल्क आदि का समायोजन किया जाएगा।
21. किसी भी छात्र को एक साथ दो नियमित एवं एक ही समय पर संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
22. प्रवेश लेते समय यदि एक स्थान रिक्त हो और दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर हों तो जन्मतिथि में वरिष्ठ छात्र का प्रवेश लिया जाएगा।
23. किसी विदेशी छात्र का प्रवेश जनपद के पुलिस अधीक्षक की अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही लिया जा सकता है।
24. महाविद्यालय में किसी छात्र का प्रवेश नियमों के विरूद्ध होने अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं इस दशा में भी जमा शुल्क वापस नहीं होगा।
25. विश्वविद्यालय अधिनियमों के अनुसार प्रवेश संबंधी निर्णय का अंतिम अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य का है। वह किसी को भी बिना किसी कारण का उल्लेख किए उसके प्रवेश को अस्वीकृत कर सकते हैं।

9. प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था

1. ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

अनुसूचित जाति के लिए 21% अनुसूचित जनजाति के लिए 2% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% स्थान आरक्षित हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 03 वर्ष से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा। नियमानुसार आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हो।

2. क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

1. दिव्यांग अभ्यर्थियों को सभी श्रेणियों (दृष्टि हीन / कम दृष्टि/ श्रवण हास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) के लिए पृथक–पृथक 01% स्थान कुल 03% स्थान संबंधित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। दिव्यांग अभ्यर्थीयों को आरक्षण उनकी दिव्यांगता का परीक्षण करने के उपरान्त दिव्यागता 60% या 60% से अधिक होने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02% सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।
3. उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग अथवा युद्ध में शहीद रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र – पुत्रियों अथवा जिनके माता/पिता अथवा पति/पत्नी पुलिस या पी०ए०सी० या बी०एस०एफ० या एस०एस०बी० या आई०टी०बी०पी० या सी०आर०पी०एफ० या अन्य अर्द्ध सैनिक बल या होमगार्ड्स में सेवारत हों या सेवानिवृत्त, अपंग या मृत हों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5% स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।
4. महिला अभ्यर्थियों हेतु 20% स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होगा। महिलाओं के कुल आरक्षित सीट संख्या में से 02% सीट विधवा / तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार रक्षित होगा।
5. उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुपालन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम 10% आरक्षण अनुमन्य होगा।
6. स० च० कालेज, बलिया के कर्मियों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के आश्रितों (यथा–पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री) के लिए 5–5% स्थान (कुल 10% स्थान) सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

10. प्रवेश हेतु अधिभार (Weightage)

विवरण	भारांक
(A) खेलकूद हेतु अधिभार	
1) एकल प्रतियोगिता (राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय)	15
2) समूह प्रतियोगिता (राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय)	10
3) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता	10
4) जनपदीय / अन्तरजनपदीय प्रतियोगिता	05
(B) नेशनल कैडिट कोर / राष्ट्रीय सेवा योजना / स्काउट गाइड हेतु अधिभार	
1) नेशनल कैडिट कोर में (सी) प्रमाण पत्र	15
2) नेशनल कैडिट कोर में (बी) प्रमाण पत्र	10
3) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में प्रतिभाग	15
4) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में प्रतिभाग	10
5) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा	05
6) स्काउट / गाइड्स अथवा रोवर्स / रेन्जर्स का राष्ट्रपति पुरस्कार	15
7) स्काउट / गाइड्स अथवा रोवर्स / रेन्जर्स का राज्यपाल पुरस्कार	10
8) स्काउट / गाइड्स का तृतीय सोपान अथवा रोवर्स / रेन्जर्स का निपुण प्रमाण पत्र	05
(C) सतीश चंद्र कालेज, बलिया से उत्तीर्ण स्नातक हेतु अधिभार	10

नोट: अधिकतम अधिभार केवल 25 ही देय होगा। सतीश चंद्र कॉलेज से उत्तीर्ण स्नातक हेतु अधिभार इसके अतिरिक्त होगा |

11. स्नातक स्तर पर संकायवार संचालित विषयों की सूची

ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय	भाषा संकाय	कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय	विज्ञान संकाय	वाणिज्य संकाय
1. चित्रकला*	1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. संस्कृत	1. समाज शास्त्र 2. राजनीति विज्ञान 3. अर्थशास्त्र 4. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन 5. शिक्षाशास्त्र 6. मनोविज्ञान 7. दर्शनशास्त्र 8. प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति 9. इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास) 10. भूगोल 11. गृह विज्ञान* 12. शारीरिक शिक्षा*	1. गणित 2. भौतिक विज्ञान 3. कंप्यूटर विज्ञान* 4. रसायन विज्ञान 5. प्राणि विज्ञान 6. वनस्पति विज्ञान	1. बी.कॉम

* स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत संचालित

12. स्नातक स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा लिए जाने वाले विषय / पेपर

अभ्यर्थी को कुल छः विषय / पेपर लेना है :

1. मुख्य (Major) विषय 1
2. मुख्य (Major) विषय 2
3. मुख्य (Major) विषय 3
4. इलेक्टिव (Minor) पेपर
5. व्यावसायिक / कौशल विकास कोर्स (Vocational / Skill Development Course)
6. सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course)

नोट :

1. अभ्यर्थी को प्रवेश के समय अपनी शैक्षणिक अर्हतानुसार एक संकाय (भाषा संकाय / कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय / विज्ञान संकाय / वाणिज्य संकाय) का चयन करना है।
2. उसे उस संकाय के दो मुख्य (Major) विषयों का चयन करना है | यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलाएगा |
3. तीसरे मुख्य विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा की इनमे से कम से कम एक विषय अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो |
4. माइनर इलेक्टिव पेपर किसी विषय का एक पेपर (थ्योरी पेपर) होगा, न कि पूर्ण विषय। अर्थात, उस विषय का प्रैक्टिकल नहीं लेना है।
5. माइनर पेपर प्रथम दो वर्षों के प्रत्येक विषम सेमेसटर मे एक (कुल दो) लेना है।

6. वोकेशनल कोर्स प्रथम दो वर्षों के प्रत्येक सेमेसटेर मे एक (कुल चार) लेना है।
7. को–करीकुलर कोर्स तीन वर्षों के प्रत्येक सेमेसटेर मे एक (कुल छः) लेना है।

13. स्नातक स्तर पर संचालित वोकेशनल कोर्सेज की सूची

SEMESTER – I 1. NUTRITION AND HEALTH SCIENCE 2. ORGANIC FARMING **SEMESTER – II** 1. ADVERTISING, SALES PROMOTION AND SALES MANAGEMENT 2. MEDICAL LAB AND MOLECULAR DIAGNOSTIC TECHNOLOGY	**SEMESTER – III** 1. COMMUNITY SCIENCES (HOME SCIENCES) 2. ANALYTICAL INSTRUMENTATION **SEMESTER – IV** 1. PRINCIPLE AND PRACTICE INSURANCE 2. DAIRY TECHNOLOGY

14. स्नातक स्तर पर संचालित कोकरिकुलर कोर्सेज की सूची

SEMESTER – I 1. FOOD, NUTRITION AND HYGIENE **SEMESTER – II** 1. FIRST AID AND HEALTH **SEMESTER – III** 1. HUMAN VALUES AND ENVIRONMENTAL STUDIES	**SEMESTER – IV** 1. PHYSICAL EDUCATION AND YOGA **SEMESTER – V** 1. ANALYTIC ABILITY AND DIGITAL AWARENESS **SEMESTER – VI** 1. COMMUNICATION SKILLS AND PERSONALITY DEVELOPMENT

15. स्नातकोत्तर स्तर पर संकायवार संचालित पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (PROGRAMMES)

भाषा संकाय	कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय	विज्ञान संकाय	वाणिज्य संकाय
1. एम.ए. हिन्दी 2. एम.ए. अंग्रेजी*	1. एम.ए. राजनीति विज्ञान 2. एम.ए. समाज शास्त्र 3. एम.ए. भूगोल* 4. एम.ए. दर्शन शास्त्र* 5. एम.ए. शिक्षा शास्त्र* 6. एम.ए. रक्षा एवं स्रातजिक अध्ययन*	1. एम.एस–सी. गणित 2. एम.एस–सी. रसायन विज्ञान 3. एम.एस–सी. वनस्पति विज्ञान* 4. एम.एस–सी. भौतिक विज्ञान*	1. एम.कॉम.*

* स्ववित्तपोषी योजना के अन्तर्गत संचालित

16. स्नातकोत्तर स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर

विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में अपने विषय के के साथ–साथ एक माइनर इलेक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा। माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन अन्य संकाय से करना होगा।

17. परीक्षा व्यवस्था

1. क्रेडिट प्रणाली: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रत्येक प्रश्नपत्र (कोर्स) को एक निश्चित क्रेडिट दिया गया है। जब छात्र उस प्रश्नपत्र (कोर्स) को उत्तीर्ण करता है, तो वह उस निश्चित क्रेडिट को प्राप्त करता है।
2. क्रेडिट प्राप्त करने के लिए परीक्षा देना आवश्यक है। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
3. वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में सभी प्रश्नपत्र 100 अंकों के हैं। परीक्षा में प्राप्त अंकों को निर्धारित ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार लेटग्रेड एवं ग्रेड प्वाइंट में परिवर्तित कर दिया जाता है।
4. स्नातक स्तर पर संचालित वोकेशनल कोर्स के 100 अंकों में से 60 अंकों की परीक्षा महाविद्यालय द्वारा सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 40 अंकों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी । सतत आंतरिक मूल्यांकन के 60 अंकों का विभाजन इस प्रकार होगाः
    a. सापेक्षिक उपस्थिति 10 अंक
    b. असाइनमेंट 20 अंक
    c. मिड टर्म लिखित परीक्षा 30 अंक
5. अन्य सभी कोर्सेज के 100 अंकों में से 25 अंकों की परीक्षा महाविद्यालय द्वारा सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी । सतत आंतरिक मूल्यांकन के 25 अंकों का विभाजन इस प्रकार होगाः
    a. सापेक्षिक उपस्थिति 5 अंक
    b. असाइनमेंट 5 अंक
    c. मिड टर्म लिखित परीक्षा 15 अंक
6. सभी कोर्सेज की लिखित परीक्षा वर्णनात्मक (descriptive) प्रकार की होगी । परन्तु, स्नातक स्तर पर संचालित वोकेशनल और कोकरिकुलर कोर्सेज की लिखित परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न (MCQ) आधारित होगी ।
7. स्नातक स्तर पर संचालित सभी कोर्सेज का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 प्रतिशत होगा । परन्तु, वोकेशनल और कोकरिकुलर कोर्सेज का उत्तीर्ण प्रतिशत 40 प्रतिशत होगा ।

18. उपस्थिति

1. क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक है। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
2. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है |
3. छात्र वृत्ति प्राप्त करने के लिए भी कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है |

19. अनुशासन

महाविद्यालय परिसर में अनुशासन व्यवस्था की निगरानी अनुशासन मण्डल (Proctorial Board) करती है । अनुशासन मण्डल (Proctorial Board) में एक मुख्य अनुशासक (Chief Proctor) और पांच अनुशासक (Proctor) होते हैं। अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने, महाविद्यालय परिसर के वातावरण को दूषित करने अथवा महाविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अन्य छात्र–छात्राओं के विरूद्ध दुर्व्यवहार करने का दोषी पाये जाने पर छात्र / छात्रा का प्रवेश निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

परिशिष्ट (Appendices)

1. JN - Pravesh Niyamavali
2. JN - Reservation for EWS
3. JN Grading System in NEP in UG Programmes
4. NEP 2020 TABLE

Appendix 1

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

प्रवेश नियमावली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)–2020 के क्रियान्वयन हेतु 'च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' (CBCS) एवं 'न्यूनतम समान पाठ्यक्रम' पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम की रूपरेखा

1. परिभाषाएँ–

1.1 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)**

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि।

1.2 **संकाय (Faculty)**

1.2.1 संकाय विषयों का समूह है, यथा–कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

1.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिए संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011, दिनांकः 15.06.2021 के अनुसार होगी। भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा, किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.) की प्रदान की जायेगी।

1.2.3 विश्वविद्यालय में संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था का गठन निम्नवत है:–

(1) **Faculty of Language (भाषा संकाय)**

1. अंग्रेजी (English)
2. हिन्दी (Hindi)
3. संस्कृत (Sanskrit)
4. उर्दू (Urdu)

(2) **Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences (कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)**

1. प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति Ancient History, Archaeology & Culture)
2. इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास) (History- Medieval & Modern History)
3. भूगोल (Geography)
4. रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन (Defence & Strategic Studies)
5. राजनीति विज्ञान (Political Science)
6. दर्शनशास्त्र (Philosophy)

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया, उ0प्र0 पिन कोडः–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

7. पत्रकारिता एवं जनसंचार (Journalism & Communication)
8. मनोविज्ञान (Psychology)
9. समाजशास्त्र (Sociology)
10. समाजकार्य (Social Work)
11. शिक्षाशास्त्र (Education)
12. शारीरिक शिक्षा (Physical Education)
13. अर्थशास्त्र (Economics)
14. गृहविज्ञान (Home Science)
15. योग एण्ड नेचुरोपैथी (Yoga & Naturopathy)

(3) <u>Faculty of Legal Studies (विधि संकाय)</u>

1. BA- LLB
2. B.Sc.- LLB
3. B.Com.- LLB
4. LLB
5. LLM

(4) <u>Faculty of Science (विज्ञान संकाय)</u>

1. वनस्पति विज्ञान (Botany)
2. जन्तु विज्ञान (Zoology)
3. कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Computer Application)
4. कम्प्यूटर विज्ञान (Computer Science)
5. भौतिक विज्ञान (Physics)
6. गणित (Mathematics)
7. रसायन विज्ञान (Chemistry)
8. सांख्यिकी (Statistics)
9. जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान (Biotechnology)

(5) <u>Faculty of Agriculture (कृषि संकाय)</u>

1. कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान (Agricultural Chemistry & Soil Science)
2. आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन (Genetics & Plant Breeding)
3. कृषि अर्थशास्त्र (Agriculture Economics)
4. कृषि प्रसार (Agriculture Extension)
5. पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान (Animal Husbandry and Dairy)
6. उद्यान विज्ञान (Horticulture)
7. पादप रोग विज्ञान (Plant Pathology)
8. कृषि–कीट विज्ञान (Agricultural Entomology)

9. भूमि संरक्षण (Soil Conservation)
10. शस्य विज्ञान (Agronomy)
11. कृषि अभियंत्रण (Agricultural Engineering)

(6) Faculty of Teacher Education (शिक्षक शिक्षा संकाय)

1. B.Ed, M.Ed
2. B.P.Ed., M.P.Ed.
3. B.El.Ed.

(7) Faculty of Commerce (वाणिज्य संकाय)

1. B.COM
2. M.COM
3. Taxation (Goods & Service Tax)

(8) Faculty of Management (प्रबंधन संकाय)

1. पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन (Travel/Tourism & hospitality management)

(9) Faculty of Fine Art and Performing Art (ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय)

1. संगीत गायन (Music- Vocal)
2. संगीत वादन (Music Instrumental- Sitar & Tabla)
3. परफॉर्मिंग आर्ट इन वोकल म्यूजिक (Performing Art in Vocal Music)
4. परफॉर्मिंग आर्ट इन इन्स्ट्रूमेन्टल म्यूजिक (Performing Art in Instrumental Music)

(10) Faculty of Medical Sciences

BAMS

(11) Faculty of Vocational Studies (व्यावसायिक अध्ययन संकाय)

1. Advertising, Sales Promotion and Sales Management
2- Agribusiness management
3- Airline, Tourism and Hospitality Management
4- Analytical Instrumentation.
5- Community Sciences(Home sciences)
6- Dairy technology
7- Foreign Trade Practices and Procedures.
8- Medical Lab and Molecular Diagnostic Technology

पता:–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया, उ0प्र0 पिन कोड:–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

9- Multimedia, Animation and Graphics
10- Nutrition and health care Sciences
11- Organic farming and Organic products
12- Principal & Practice of Insurance
13- Pearl Culture

(NSQF/UGC के दिशा निर्देशानुसार 40% (General)&60% (Skill) व्यवस्था पर आधारित, स्किल पार्टनर के सहयोग से संचालित विषय ही व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत आयेंगे।)

(12) <u>Faculty of Rural Science (ग्रामीण विज्ञान संकाय)</u>

1- Community development and extension
2- Co-operation
3- Agriculture Marketing
4- Horticulture (Rural Science)
5- Village Industries
6- Fisheries
7- Rural Banking

1.3 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/ Paper)

1.3.1 एक विषय के विभिन्न सैद्धांतिक/प्रायोगिक कार्यक्रमों के पेपर को कोर्स /पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

1.3.2 सैद्धांतिक और प्रायोगिक के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

2. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारिणी

2.1 तीन विषयों वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस–सी0 व बी0काम0) में CBCS आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

2.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में CBCS आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होंगा।

2.3 बी0ए0/बी0एस–सी0 आनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू।

2.4 Ph.D कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी।

3. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

3.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय अपनी शैक्षणिक अर्हतानुसार एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक वह अध्ययन कर सकता है।

3.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

3.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है, अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

3.4 छात्र को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में संचालित विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन कर सकता है, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

3.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6, केडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

3.6 माइनर इलेक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty) से लेना होगा। इसके लिए किसी भी Pre-Requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

3.7 बहुविषयकता (Multidisplinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।

3.8 **तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक विषय, अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो।**

3.9 विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (स्नातक) तथा स्नाताकोत्तर में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर पेपर प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

3.10 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

3.11 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में संचालित विषयों के प्रश्नपत्रों में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

4. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses)

4.1 स्नातक के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (**3x4=12** क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

5. सह–विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा।

5.2 हर सह–विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। इसमें कोई कृपांक देय नहीं होगा। विद्यार्थी की ग्रेड सीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5.3 स्नातक स्तर के विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में लिये जाने वाले सह–विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses) निम्नवत है :–

स्नातक प्रथम सेमेस्टर – खाद्य एवं पोषण (Food and Nutrition)
स्नातक द्वितीय सेमेस्टर–प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (Health And Hygiene)
स्नातक तृतीय सेमेस्टर–शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर – मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)

स्नातक पंचम सेमेस्टर – विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Disital Awereness)

स्नातक षष्टम् सेमेस्टर–संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication skills and Personality development)

6. शोध परियोजना (Research Project)

6.1 स्नातक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को तीसरे वर्ष (पांचवे एवं छठे सेमेस्टर) में लघु शोध एवं पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी।

6.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना अन्तर्आनुशासनात्मक (Interdisdisciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

6.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

6.4 विद्यार्थी वर्ष के अन्त में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की संयुक्त रिपोर्ट/प्रतिवेदन (Report / Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अन्त में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंको में किया जायेगा।

6.5 स्नातक स्तर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांक पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6.6 स्नातक (शोध सहित) के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

7.1 सैद्धान्तिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घण्टा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घण्टे का शिक्षण कराना होगा।

7.2 प्रायोगिक (Practical)/ इन्टर्नशिप/फील्डवर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घण्टे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घण्टे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घण्टे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घण्टे के कार्यभार के बराबर होगा।

7.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

7.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चारवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी0जी0डी0 आर0 ले सकता है।

7.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (Re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

7.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेता है, तो छात्र को न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अन्तराल की सुविधा होगी, परन्तु उसे डिग्री 03 वर्ष बाद ही मिलेगी। अन्तराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

7.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

7.9 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

7.10 यदि कोई छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8. उपस्थिति एवं क्रेडिट निर्धारण

8.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

8.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

8.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

9. प्रवेश परीक्षा तथा समय–सारिणी

9.1 सभी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा सम्पन्न होने से पूर्व अपनी समय–सारिणी (TimeTable) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें, जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

9.2 सभी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय समय–सारिणी ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।

10. परीक्षा व्यवस्था

10.1 सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में साफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।

10.2 सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत् आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी। सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित 25 प्रतिशत अंकों का विभाजन इस प्रकार होगा:–

- 5 प्रतिशत अंक छात्र की सापेक्षिक उपस्थिति से सम्बन्धित होंगे।
- 5 प्रतिशत अंक छात्र को प्रदान किये जाने वाले असाइनमेंट एवं असाइनमेंट–प्रेजेंटेशन से सम्बन्धित होंगे।
- 15 प्रतिशत अंक छात्र के मिड–सेमेस्टर क्लास–टेस्ट से सम्बन्धित होंगे।

10.3 सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय के आधार पर होगी।

कुलसचिव

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / आर0कैम्प(सा0प्र0) / 4934 / 2021 दिनांक: 06 सितम्बर, 2021

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त अनुदानित / राजकीय / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः प्रवेश प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयानुक्रम में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2019 / 4 / 1 / 2002 / का–2 / 19 टी0सी0–II, दिनांकः 18 फरवरी, 2019 (संलग्न) में वर्णित सभी राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम् 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 18.02.2019 के प्रस्तर–6 में निम्न व्यवस्था दी गयी है–

6(1) **अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान में लागू राज्य सरकार की योजना / नीति से आच्छादित नहीं है, उन्हें अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में उपलब्ध कुल सीटों के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया जाय।**

6(2) **प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान अपनी प्रत्येक शाखा में निर्धारित वार्षिक सीटों की संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से सीटों की संख्या में वृद्धि करेंगे, जो शैक्षणिक सत्र के तुरन्त बाद से पहले प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या से कम न हो।**

कृपया उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग–2 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 18 फरवरी, 2019 में वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रवेश प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति जी।
2. उप कुलसचिव को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लॉगिन पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II
लखनऊ, दिनांक : 18 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 12.01.2019 के माध्यम से भारत का संविधान में 103वां संशोधन करते हुये सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. तत्क्रम में समाज कल्याण विभाग के आदेश संख्या-325/26-3-2019, दिनांक-22.01.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-17.01.2019 के क्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-36039/1/2019-Estt.(Res.), दिनांक-19.01.2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भारत सरकार की सिविल पोस्ट एण्ड सर्विसेज में आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नवत् है:-

"Reference is invited to Ministry of Social Justice and Empowerment O.M.No. F.No. 20013/01/2018-BC-II dated 17.01 2019 on the above mentioned subject, which, inter-alia, reads as under:-

"1 In pursuance of insertion of clauses 15(6) and 16(6) in the constitution vide the Constitution (One Hundred and Third Amendment)Act, 2019 and in order to enable the Economically Weaker Sections (EWSs)who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, to receive the benefits of reservation on a preferential basis in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions, it has been decided by the Government to provide 10% reservation to EWSs in civil posts and services in Government of India and admission in Educational Institutions.

2. Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes and Whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh are to be identified as EWSs for the benefit of reservation. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of

Scanned with CamScanner

18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:

i. 5 acres of Agricultural Land and above;
ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

3. The Income and assets of the families as mentioned in para 2 would be required to be certified by an officer not below the rank of Tehsildar in the States/UTs. The officer who issues the certificate would do the same after carefully verifying all relevant documents following due process as prescribed by the respective State/UT

....

5- Instructions regarding reservation in employment and admission to educational institutions will be issued by DOPT and Ministry of HRD respectively."

2. In pursuance of the above office Memorandum, it is hereby notified that 10% reservation would be provided for Economically Weaker Sections (EWSs) in Central Government posts and services and would be effective in respect of all Direct Recruitment vacancies to be notified on or after 01-02-2019

3. Detailed instructions regarding operation of roster and procedure for implementation of EWS reservation will be issued separately. "

4- The Constitution (One Hundred and Third Amendment)Act, 2019 के क्रम में भारत सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के सम्बन्ध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये की गयी आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी हैं, को राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु निम्नवत् व्यवस्था/ मानक निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाय।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अनुमन्य किये गये 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति, पात्र /अर्ह होंगे:-

(i) जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक आय रू0-8.00 लाख से कम होगी। समस्त स्रोतों से आय में वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

आय सम्मिलित होगी और यह आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की होगी। इस उद्देश्य के लिये लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के परिवार में उसके/उसकी माता-पिता व 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका/उसकी, पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के उसके बच्चे सम्मिलित होंगे। परन्तु :

(ii) ऐसे व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में पात्र नहीं होंगे :-

(अ) जिनके परिवार के स्वामित्व अथवा कब्जे में 05 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि हो, या

(ब) 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्र का आवासीय फ्लैट हो, या

(स) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का आवासीय भू-खण्ड हो, या

(द) अधिसूचित नगर पालिकाओं के क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का आवासीय भू-खण्ड हो।

(iii) परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा।

(iv) उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था दिनांक 01.02.2019 या इसके उपरान्त अधिसूचित / विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी।

5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-12-4/2019 दिनांक 17.01.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों जो वर्तमान में लागू आरक्षण व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, के लिए केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आदेश जारी किया गया है, जो निम्नवत् है :-

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act 2019, and the reference of Ministry of Social Justice and Empowerment vide OM No. 20013/01/2018-BC-II dated-17th January 2019, enabling provision of reservation for the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, It has been decided to provide reservation in admission to educational institutions subject to a maximum of ten percent of the total seats in each category. This would not apply to the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

2. The provision of reservations to the Economically Weaker Sections shall be in accordance with the directions contained in the OM No. 20013/01/2018-BC-II dated-17th January 2019 of the Ministry of Social Justice & Empowerment and shall be subject to the following:

a) The reservations shall be provided to EWSs for admission in Central Educational Institution, (as defined in clause (d) of section (2) of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006) from the academic year 2019-20 onwards

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

b) The above reservation would not be applicable to the 8 Institutions of excellence, research institutions, institutions of national & strategic importance as specified in the Schedule to The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as amended from time to time, and appended to this OM, and to the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the Constitution.

c) Every Central Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority (as defined in clause (c) of section 2 of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006), increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, is not less than the number of such seats available, in each category, for the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M.

d) Where, on a representation by any Central Educational Institution, the appropriate authority is satisfied that for reasons of financial, physical or academic limitations or in order to maintain the standards of education, the annual permitted strength in any branch of study or faculty of such institution cannot be increased for the academic session following the commencement of this Act, it may permit such institution to increase the annual permitted strength over a maximum period of two years begining with the academic session following the commencement of this Act; and then, the extent of reservation for the Economically Weaker Sections shall be limited for that academic session in such manner that the number of seats made available to the Economically Weaker Sections for each academic session shall not reduce the number and the percentage of reservations provided for SC/ST/OBC categories.

e) The scheme for implementing the reservation for the EWS shall be displayed on the website of the Institution as soon as possible, but no later than 31st March 2019.

3. The Chairman UGC, Chairman AICTE and Chairperson NCTE and the Bureau Heads of the Depratment of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development responsible for management of the Institutions of National Importance are requested to ensure immediate compliance of this OM.

6. संविधान के 103वें संशोधन के क्रम में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भारत सरकार द्वारा की गई उक्त व्यवस्था के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में भी निम्नवत् कार्यवाही की जानी हैः

1) अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गों के लिये वर्तमान में लागू राज्य सरकार की योजना/नीति से आच्छादित नही है, उन्हें अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में उपलब्ध कुल सीटो के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया जाय। प्रदेश में उत्कृष्टता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, द सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूशन (रिजर्वेशन इन एडमिशन) एक्ट, 2006 के अंतर्गत इन्स्टीट्यूशन आफ नेशनल एण्ड स्ट्रेटजिक इम्पॉरटेन्स जिन्हें भारत सरकार के आफिस मेमोरेन्डम दिनांक 17.01.2019 में सम्मिलित किया गया है, उन पर यह आरक्षण व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

Scanned with CamScanner

2) प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान अपनी प्रत्येक शाखा में निर्धारित वार्षिक सीटों की संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से सीटों की संख्या में वृद्धि करेंगे जो शैक्षणिक सत्र के तुरन्त बाद से पहले प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या से कम न हो।

3) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की प्रस्तावित व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्र-2019-20 से लागू की जाय।

4) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पात्रता का मानक प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर(ख) के अनुसार ही होगा।

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II(1), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) प्रमुख सचिव, श्री महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
10) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
11) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
13) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
14) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

Appendix 3

Agency Exam.

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

बैठक की कार्यवृत्ति

आज दिनांक 22.05.2022 को अपराह्न 3.00 बजे, विश्वविद्यालय के पत्र सं. जे.एन.सी.यू./सा.प्र./973/2022 दिनांक 02 मई, 2022 के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2021-22 से स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में, गठित समिति की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :

1. डा. ओ.पी. सिंह
2. डा. दयालानन्द राय
3. डा. अशोक सिंह, राजनीति विज्ञान, कुंवर सिंह महाविद्यालय
4. डा. नीरजा सिंह

बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा प्राप्त ग्रेडिंग प्रणाली के सम्बन्ध पत्र (सं-1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022) में उल्लिखित ग्रेडिंग प्रणाली के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करते हुए, ग्रेडिंग प्रणाली के तहत परीक्षाफल घोषित किया जाय।

उक्त पत्र के आलोक में ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत होंगे :

1. पत्र में उल्लिखित तालिका-1 के अनुसार प्रत्येक कोर्स में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को ग्रेड प्वाइंट तथा लेटर ग्रेड में बदल दिया जाय।
2. पाँचवें (वोकेशनल कोर्स) तथा छठवें (को करिकुलर) कोर्स Qualifying हैं तथा इनमें उत्तीर्णांक 40% होगा।
3. सभी विषय (कोर्स) के आन्तरिक मूल्यांकन का कोई न्यूनतम अंक नहीं होगा। प्रथम चार विषयों में प्रत्येक में आन्तरिक व बाह्य मूल्यांकन में समेकित रूप से 33% प्रतिशत प्राप्त करने तथा पाँचवें एवं छठवें कोर्स वर्ग में प्रत्येक में समेकित रूप से 40% अंक प्राप्त करने पर छात्र उत्तीर्ण माना जायेगा।

4. किसी भी विषय में कृपांक नहीं दिया जायेगा।
5. किसी भी दशा में छात्र को वर्तमान सेमेस्टर (ODD) से अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा।
6. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाफल (SGPA) निम्नलिखित फार्मूले से आगणित किया जायेगा।

$$SGPA = \frac{\Sigma (C_i \times G_i)}{\Sigma C_i}$$

जहाँ
C_i = Number of credits in 1st semester
G_i = Grade point scored in the first semester

7. प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के उपरान्त छात्र का CGPA निम्नलिखित फार्मूले से आगणित किया जायेगा;

$$CGPA = \frac{\Sigma (C_j \times S_j)}{\Sigma C_j}$$

S_j = SGPA of a semester
C_j = Total credit of a semester

8. किसी भी अन्य विवरण हेतु शासन के संलग्न पत्र का अवलोकन कर तदनुसार निर्णय लिया जा सकता है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि: मा. कुलपति महोदया के अवलोकनार्थ

22.5.22   22.5.22   22/05/22

(डा. ओ.पी. सिंह) (डा. दयानन्द शर्मा) (डा. अशोक सिंह) डा. (नीरजा राठौर)

संख्या–1032 /सत्तर–3–2022–08(35)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. निदेशक
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2022

विषयः– स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 में लागू कर दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी., दिनांक 13.07.2021 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था तथा विद्यार्थियों का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ABACUS-UP के द्वारा स्थानान्तरण किये जाने के दृष्टिगत स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों पर आधारित NEP-2020 के अन्तर्गत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं, जिन्हें संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके NEP-2020 के अन्तर्गत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1032/सत्तर–3–2022–तद्‌दिनॉक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
3– प्रो0 हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र०।
4– डॉ0 दिनेश चन्द्र शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, कु०मा० कन्या पी०जी० राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

NEP-2020 के अंतर्गत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0काम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु.
ग्रेडिंग प्रणाली के सम्बन्ध में सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों में लागू की गई है। इस हेतु शासनादेश संख्या 1567/ सत्तर-3-2021-16 (26)-2011 टी.सी. दिनांक 13 जुलाई 2021 के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था हो तथा विद्यार्थी का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ABACUS-UP के द्वारा स्थानांतरण किया जा सके। अतः स्टीयरिंग कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो यूजीसी के दिशा निर्देशो पर आधारित है।

तालिका–1 (Table-1)

लेटर ग्रेड	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

2.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) Qualifying हैं तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होगें।

2.4 चार कौशल विकास कोर्स (Skill development/ Vocational courses) भी Credit course हैं तथा इनके उत्तीर्णांक भी 40% ही होगें। शासनादेश संख्या 2058/सत्तर-3-2021-08(33)-2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल

सर्वसम्मति से उपस्थित सदस्यों ने शासन द्वारा प्रेषित ग्रेडिंग प्रणाली को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकारने हेतु संस्तुत किया।

23.5.22
(ओम प्रकाश सिंह)

विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा, जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/ प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे । प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग-अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे ।

2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.7 सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.8 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.9 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगें।

3. <u>कक्षोन्नति (Promotion)</u>

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

3.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तो के साथ दी जायेगी :-

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा (ब) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर) के Major विषयों (तीन मुख्य विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष में तथा दो मुख्य विषय तृतीय वर्ष में) के सभी पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) के कुल क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे, जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

3.3 द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक (required) 46 क्रेडिट्स के सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying (सह–पाठ्यक्रम) पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। किंतु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक, चाहे कितनी भी बार दे सकता है। किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या:– (Explanation) यदि विद्यार्थी सततता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा

होकर चला जाता है, तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

6. CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी:

jth सेमेस्टर के लिए	यहाँ पर:
$SGPA\ (S_j) = \sum(C_i \times G_i) / \sum C_i$	Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi= grade point scored by the student in the ith course in jth semester.
$CGPA = \sum(C_j \times S_j) / \sum C_j$	यहाँ पर: Sj= SGPA of the jth semester. Cj= total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा:

समतुल्य प्रतिशत =CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी:

तलिका–2 (Table-2)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

Appendix 4

New Proposed Year-wise Structure of UG/PG Programs

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Project	Credits		(Min.-Max. Total Credits) After completion {Minimum Credits} [Max Duration in years]
		Major	Major	Major	Minor/ Elective	Minor	Minor	Major			
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/6/8 Credits			
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Any Faculty	Other Faculty	Vocational Faculty	Co-Curricular Course	Inter/Intra Faculty related to main Subject	Total	Min.-Max. of the semester/ year	
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		18+(0/4/5/6)+3+2	23-29	(50-52) {46} [4] Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1		18+(0/4/5/6)+3+2	23-29 (50-52)	
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		18+(0/4/5/6)+3+2	23-29	(100-104) {92} [7] Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1		18+(0/4/5/6)+3+2	23-29 (50-52)	
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (3)	20+3+2	25	(150-154) {138} [10] Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (3)	20+3+2	25 (50)	
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (6)	20+(0/4/5/6)+6	26-32	(206-212) {194} [12] Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20+(0/4/5/6)+6	26-32 (56-58)	
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20+6	26	(258-264) {246} [16] Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20+6	26 (52)	
6	XI	2 (6)	1 (4) Research Methodology					1 (8)	16+8		(270) [4] PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D. Research			Ph.D. in Subject

Notes: **(a)** 1, 2 & 5 (in blue ink) are the number of courses/papers in that semester of that subject. **(b)** Credits are given in (in red ink). **(c)** A student willing to take admission to the first year of Higher Education program after 12^{th} class, will have to choose a Faculty with two main (Major) subjects for first year. Eligibility to such choice will have pre-requisites. Apart from two major subject (s)he has to choose in each semester one more (Major) subject of any faculty, one minor/ elective course of other faculty, one vocational course of his choice and one compulsory co-curricular course.

3 DAYS WORKSHOP

04-06 January 2023

3 DAYS WORKSHOP

181
बेटी पढ़ाओ
अभियान

Satish Chandra College, Ballia

www.sccollege.in